रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 810] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29 , 2017/आश्विन 7, 1939
No. 810] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सं. 30/2017- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि.1211(अ).— केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9ख	अध्याय 99	नेपाल और भूटान (भू-स्थल से घिरे देश) को ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं का आपूर्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं”.

[फा. सं. 354/221/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोटः- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 12/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 691 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2017- संघ राज्य कर (दर) दिनांक 21 सितंबर, 2017, सा.का.नि. 1180 (अ), दिनांक 21 सितंबर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

No. 30/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1211(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely: —

In the said notification, in the Table, after serial number 9A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9B	Chapter 99	Supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan (landlocked countries).	Nil	Nil”.

[F. No.354/221/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 25/2017 - Central Tax (Rate), dated the 21st September, 2017 *vide* number G.S.R. 1180 (E), dated the 21st September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2017

सं 31/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1212(अ). —एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 9क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा-